संख्या–1889/49–3–2011–100(15)/2006

प्रेषक,

राकेश कुमार,,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉं, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 02 सितम्बर, 2011.

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ को शासन द्वारा देय सदस्यता शुल्क की द्वितीय किश्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–97/शिक्षा/2011–12, दिनॉक 14 जुलाई, 2011 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या–850/49–3–2011–100(15)/2006 दिनांक 7–4–2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ को शासन द्वारा देय वार्षिक सदस्यता शुल्क/अनुदान के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 5.00 लाख(रूपये पॉच लाख मात्र) की द्वितीय किश्त की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है।

2– उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था/नियमों के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3– उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–18 के अधीन लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनेत्तर–00–003–प्रशिक्षण–05–सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान–00–20–सहायता अनुदान/सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–2–595/दस– 2011, दिनांक 30 अगस्त, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

281/ST
प्रभारी (कम्प्यूटर/प्रदेश)

भवदीय,

(राकेश कुमार)
उप सचिव।

अ0 नि0 (कम्प्यूटर)
2.9.11

संख्या–1889(1)/49–3–2011, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

16
07.9.11

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
5– वित्त नियंत्रक, सहकारी समितियॉं, उ0प्र0, लखनऊ।
6– निदेशक, आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ।
7– वेब मास्टर,निबन्धक, सहकारी समितियॉं, उ0प्र0, लखनऊ।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
उप सचिव।